

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/157

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 90/2021 (भंवरसिंह बनाम ताराचन्द वगै0)


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बिसाऊ को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बिसाऊ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2022/460 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2023 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम चंदवा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 576 रकबा 1.25 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	भंवरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति मेघवाल सा0 कोलिण्डा का बास खातेदार	576 मि0	0.54	बारानी-2	2.16
		किता-1	0.54	बारानी-2	2.16
2	ताराचंद रामस्वरूप पिता पीरुराम हि0 15/17 मोहनी पुत्री पीरुराम 2/17 जाति जाट सा. देह खातेदार	576 मि0	0.68	बारानी-2	2.72
		किता-1	0.68	बारानी-2	2.72
3	भंवरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति मेघवाल सा0 कोलिण्डा का बास हि0 1/3 ताराचंद रामस्वरूप पिता पीरुराम हि0 2/3 जाति जाट सा. देह खातेदार	576 मि0	0.03	गै0मु0रास्ता	0.12
		किता-1	0.03	गै0मु0रास्ता	0.12

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.07.2023 को जारी की गई।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर